कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/विविध/2018–19/123 दिनांक 25.8.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक एवं
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषयः– समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2020–21 के आवेदन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– शासन सचिव महोदया स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण पत्र दिनांक 10.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.07.2020 में यह निर्णय लिया गया है कि शालादर्पण पोर्टल के छात्रवृत्ति मॉडयूल में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों से नवीन सत्र 2020–21 में पुनः आवेदन ना करवाया जाकर केवल नवीनतम आय प्रमाण–पत्र के आधार पर ही छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कर दिया जाये।

अतः गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके पात्र विद्यार्थियों को इस सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय प्रमाण–पत्र लिया जाना है। जिसका प्रारूप संलग्न है।

इस क्रम में आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों को निर्देशित करें कि कोविड–19 के मद्धेनजर जब तक विद्यालयों में नियमित रूप से विद्यार्थी नहीं आते है विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों से door to door अभियान चलाकर नवीनतम आय प्रमाण पत्र/आय घोषणा पत्र प्राप्त कर उनकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण शालादर्पण पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विभाग द्वारा छात्रवृति हेतु आवंटित राशि का पन्द्रह दिवस के भीतर भुगतान/उपभोग कर इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रभावी प्रबोधन बाबत।
4. समस्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार प्रभावी प्रबोधन करावें।
5. तकनीकी निदेशक, NIC शालादर्पण, शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सलंग्न प्रारूप (आय घोषणा पत्र) को शालादर्पण पोर्टल के छात्रवृति मॉडयूल पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

25.8.2020
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

आय का घोषणा पत्र

(विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2020–21 के लिए

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

उम्र...................वर्ग(केटेगरी)..निवासी ....

....

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय.................................
रूपये है।

आय संबंधी उक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि मेरे द्वारा उद्‌घोषित आय गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

विद्यार्थी का नाम ....

विद्यार्थी की कक्षा ....

विद्यार्थी से घोषणाकर्ता का संबंध ....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता